17.07.23 वकील वादी द्वारा प्रा० पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेशी में ली गई। वादी सं. 2 ता 5 द्वारा प्रा० पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण पत्रावली में कोई कार्यवाही नही करना चाहते है। वादी सं. 1 की हद तक पूर्व में वादपत्र खारिज किया जा चुका है अतः वादी सं. 2 ता 5 का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण का वादपत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई)
RAS.

प्रार्थीगण उक्त पत्रावली में कार्यवाही नही करवाना चाहते है
अमिता
सुमन
प्रभुता देवी
सुनील कुमार
पहचानकर्ता